कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश
<u>17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।</u>

पत्र संख्या– 01/सी/मि.गा.श्रा. / दिनांक 04 जुलाई, 2017

<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्य–कलापों को पारदर्शी रूप से सार्वजनिक करने हेतु सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. गन्ना विभाग के कार्य–कलापों की अद्यतन जानकारी इसके स्टेक होल्डर्स यथा– गन्ना किसान, चीनी मिल, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों आदि तक पहुँचाने एवं उनमें जागरूकता पैदा करने तथा विभाग की विश्वसनीयता अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के फेस बुक ट्विटर तथा यूट्यूब माध्यम संचालित किये जा रहे हैं। तद्क्रम में सभी से अनुरोध है कि केवल निम्न यू.आर.एल. माध्यम का प्रयोग करना सुनिश्चित करें :–
   Website: https://www.upcane.gov.in
   Twitter: https://twitter.com/canewebsite
   Facebook: https://www.facebook.com/UPCane/?ref=page_internal
   Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCEwkr8BAGSaAwmeXo9fJong

2. सभी कर्मचारी एवं अधिकारी जो उपरोक्त सोशल मीडिया मंचों पर क्रियाशील हैं, विभागीय दैनन्दिन समाचारों एवं अद्यतन सूचना के लिए उक्त मंचों पर लाइक / फालो करना सुनिश्चित करें, जिसके लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

S.N.	Social Media Platform	One time Action	Repeat Action
1	Facebook	Like (Page)	Like / Comment / Share
2	Twitter	Follow (Account / handle)	Favourite / Retweet
3	You tube	Like / Comment	Like / Comment
4	Website	Hit	Hit

3. गन्ना एवं चीनी विभाग से सम्बन्धित सभी क्षेत्रीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारी अपने परिक्षेत्र/जनपद से सम्बन्धित समाचार/अद्यतन जानकारी भेजने हेतु उत्तरदायी होंगे।

4. विभाग के सभी जनपद स्तरीय एवं क्षेत्रीय अधिकारी सोशल मीडिया के मंचों पर पोस्ट करने हेतु निम्न तालिका के अनुसार सप्ताह के नियत दिन में कम से कम एक समाचार या अद्यतन सामग्री सम्बन्धित अनुभाग के नोडल अधिकारी जिनका विवरण **बिन्दु सं.: 5** में अंकित है को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित तिथि	**मुख्यालय के अनुभाग का नाम**	
सोमवार	कय	प्रचार
मंगलवार	समिति	सांख्यकी
बुधवार	विकास	
बृहस्पतिवार	निर्माण	
शुकवार	चीनी	

5. क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों से प्राप्त समाचार/अद्यतन सामग्री को पुनरीक्षण करके सोशल मीडिया टीम को भेजने हेतु नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक अनुभाग में निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं:–

क्र.सं.	**अनुभाग का नाम**	**नोडल अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**ई–मेल आई.डी.**
1	कय अनुभाग	श्री विश्वेश कनौजिया	संयुक्त गन्ना आयुक्त (कय)	jccmarketing2014@gmail.com
2	विकास अनुभाग	श्री आर. पी. यादव	अपर गन्ना आयुक्त विकास	2012.jtcclko@gmail.com
3	समिति अनुभाग	डा. वी.बी. सिंह	संयुक्त गन्ना आयुक्त समिति	samiticamp@gmail.com
4	प्रचार अनुभाग	डा. भूपेन्द्र सिंह बिष्ट	मुख्य प्रचार अधिकारी	cpo.cane@gmail.com

5	लेखा अनुभाग	श्री के.के.सिंह	वित्त नियंत्रक	fincane2017@gmail.com
6	चीनी अनुभाग	डा. गरिमा यादव	संयुक्त गन्ना आयुक्त	jscommup@gmail.com
7	सांख्यिकीय खण्ड/ आडिट खण्ड	डा. आर. एन. यादव	उप गन्ना आयुक्त सांख्यिकी	upcdst@gmail.com
8	निर्माण खण्ड	श्री राकेश श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता	cecaneup@gmail.com
9	स्थापन खण्ड	श्री के. एन. उपाध्याय	संयुक्त गन्ना आयुक्त प्रशासन	addlcanecomm@gmail.com

यदि उक्तानुसार नामित नोडल अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है अथवा सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनके स्थान पर नामित नोडल अधिकारी की सूचना सभी सम्बन्धित को पूर्व में ही दी जायेगी।

6. जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारियों से अपेक्षा है कि अन्य अनुभागों जैसे, वित्त एवं लेखा, स्थापन, आडिट व प्राधिकरण से सम्बन्धित सूचनाएं/अद्यावधिक सामग्री भी समय पर भेजी जांय।

7. कोई भी समाचार अथवा अद्यतन सूचना भेजते समय जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निम्न निर्देशों का अनुपालन करते हुए तदनुसार ही समाचार अथवा अद्यतन सूचना प्रेषित की जायेगी।

   (1) **संक्षिप्त एवं विषय केन्द्रित**– सभी पोस्ट हेतु शब्द की समय सीमा निश्चित होती है, ऐसी स्थिति में Viewers की रूचि बनाये रखते हुए समाचार संक्षिप्त एवं सारगर्भित होना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो समाचार का सम्पादन मुख्यालय स्तर पर किया जा सकता है।

   (2) **सार्वजनिक करने योग्य**– समाचार जो विभाग की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करें तथा आम जन मानस की रूचि के अनुसार हों पोस्ट किये जांय। कोई भी ऐसी सामग्री पोस्ट न की जाय जो कि विभाग के हित के विपरीत हो।

(3) **उपयोगी समाचार**– पोस्ट किये जाने वाले समाचार/सूचना प्रासंगिक होनी चाहिए। वर्तमान के साथ पूर्व में महत्वपूर्ण **milestone's** को भी पोस्ट किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के रिकार्ड, उपलब्धि, लक्ष्य तथा पहल को भी समावेश करना युक्ति संगत होगा।

(4) **निविदा एवं भर्ती की सूचना**– निविदा/नोटिस को सोशल मीडिया पर शीघ्रता से पोस्ट किया जायेगा। सम्बन्धित अनुभाग द्वारा इस सम्बन्ध में दोबारा पृथक से समाचार/अद्यतन सूचना पोस्ट नहीं की जायेगी।

(5) **समाचार के साथ फोटोग्राफ**– यदि फोटोग्राफ उपलब्ध हैं, तब यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि वही फोटो उपयोग में लाये जांय जो स्पष्ट हों और विषय के अनुसार प्रस्तुतीकरण एवं सार्वजनिक करने योग्य हों।

(6) **फोटोग्राफी सम्बन्धी निर्देश**– सोशल मीडिया या अन्य प्रचार/छपाई गतिविधियों हेतु फोटोग्राफ में निम्न निर्देशों को ध्यान में रखा जाय।

(i) सभी क्षेत्रीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारी समाचार/अद्यतन सामग्री भेजते समय विभागीय किया–कलापों यथा– गन्ना विकास से सम्बन्धित किया–कलाप, किसान मेले/गोष्ठियां, विभागीय प्रदर्शनियों, गन्ना बुवाई की नवीनतम तकनीक के प्रयोग, पुरस्कार वितरण समारोह आदि के फोटोयुक्त समाचार भेजने में विशेष अभिरूचि लें।

(ii) फोटोग्राफ निर्धारित न्यूनतम आकार एवं रिजोल्यूशन के हों– फोटोग्राफ कम से कम 2000x2000 फिक्सल परिमाप के हों तथा इनकी माप किलोबाईट्स में न होकर मेगाबाइट में हो।

(iii) फोटो धुँधले या खराब गुणवत्ता के न हों। फोटो मुख्य व्यक्ति/वस्तु पर केन्द्रित हो ताकि पर्याप्त प्रकाश में सामने से खीचे गये हों और किसी कापीराईट का उल्लंघन न करते हों तथा संचार माध्यम पर उपयोग हेतु पर्याप्त गुणवत्ता के हों।

(iv) प्रत्येक फोटो पर, एक अनुशीर्षक जिसमें फोटो की विषय वस्तु से सम्बन्धित आवश्यक विवरण हो अंकित होना चाहिए।

(v) सभी क्षेत्रीय/जनपद स्तरीय अधिकारी विभिन्न किसान मेलों, गन्ना उत्पादन हेतु नवीनतम कृषि यंत्रों, कीटनाशक एवं भूमि शोधक दवाइयों, विभिन्न गन्ना उत्पादों एवं विभागीय समारोहों के फोटोग्राफ्स नियमित रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

8. किसी भी सोशल मीडिया कियाकलाप में समय सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक जनपद/क्षेत्र स्तरीय अधिकारी दिये गये साप्ताहिक समय सारिणी के अनुसार समाचार/अद्यतन सामग्री भेजने हेतु स्वयं सकिय रहकर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा उसके लिए सोशल मीडिया टीम से स्मरण पत्र या याद दिलाने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। जनपद–क्षेत्र स्तरीय कार्यालयों से समाचार/अद्यतन सामग्री, मुख्यालय पर प्रत्येक दिन **विलम्बतम 13.00 बजे अपरान्ह तक** प्रेषित की जायेगी।

9. मुख्यालय के सभी अनुभागों के नियंत्रक अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालयों को समाचार/अद्यतन सामग्री नियमित रूप से भेजने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। यह सामग्री (यदि उपलब्ध हो तो फोटो सहित) नोडल अधिकारी के माध्यम से अनुभाग के नियंत्रक अधिकारी प्राप्त करके पुनरीक्षण उपरांत सोशल मीडिया टीम को प्रेषित करेंगे।

10. किसी निर्धारित दिन में यदि कोई अनुभाग अपरिहार्य परिस्थितियों में सामग्री भेजने में असमर्थ हो तो अनुभाग अधिकारी इसकी सूचना तत्काल सोशल मीडिया टीम को उपलब्ध करायेंगे।

11. सोशल मीडिया पेज पर कोई टिप्पणी या प्रश्न प्राप्त होने की दशा में, यदि उस पर विभाग द्वारा उत्तर दिया जाना आवश्यक हो तो सोशल मीडिया प्रभारी/टीम सम्बन्धित नोडल अधिकारी को तुरन्त उत्तर देने हेतु प्रेषित करेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 48 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पेज पर उत्तर पोस्ट कर दिया जाय।

12. विभाग के समस्त अधिकारी भविष्य में छपने वाली सभी प्रचार सामग्रियों यथा **विज्ञापनों (निविदायें एवं सूचनाओं को छोडकर), Brochures, Leaflets / Flyers, Annual Reports, Calendars, Diaries** आदि पर **बिन्दु सं.: 1** में उल्लिखित सभी यू.आर.एल. एवं विभागीय वेबसाईट यू.आर.एल. का प्रकाशन सुनिश्चित करायेंगे।

13. सभी नोडल अधिकारी प्राप्त सभी समाचारों एवं अद्यतन सामग्री को **canewebsite@gmail.com** के माध्यम से e-mail द्वारा सोशल मीडिया टीम को प्रेषित करेंगे। सभी अधिकारी, आवश्यकता पड़ने पर श्री वाई.एस. मलिक, अपर गन्ना आयुक्त से ysmalik99@gmail.com तथा श्री वरूण राय से vartab.osho@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभावी होंगे।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.

पृष्ठांकन संख्या– ०1/सू.ग.आ. / **तद्दिनांक–**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
3. समस्त नोडल अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
4. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उप चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सहायक चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता,।
9. समस्त सहायक अभियन्ता।
10. समस्त क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी।
11. समस्त सहायक/अपर सांख्यिकीय अधिकारी।

04/07/17

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.